75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

भीम BHIM

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.2(46)नविवि/कोटा/2021 जयपुर, दिनांक 09 JAN 2023

प्रारंभिक अधिसूचना
(नियम 16(1))

यतः राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में कुल 9226 वर्गफुट व्यवसायिक भूमि अपेक्षित है, अर्थात् सामाजिक समाघात मूल्याँकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्याँकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है) –

चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, नगर विकास न्यास कोटा राजस्थान की सुनियोजित पहल है, जिसमें नयापुरा पुलिया के किनारे 80 फीट सडक का निर्माण करके नयापुरा की ओर से रिवर फ्रंट का मुख्य प्रवेश द्वार बनाने के उद्देश्य से अनिवार्य भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया लागू की जायेगी, इसमें ऐसी कोई उल्लेखनीय या गंभीर चिंता की स्थिति परिलक्षित नहीं होती है। शहर से गुजरने वाली चम्बल नदी के तटीय हिस्से के सौंदर्यकरण से स्थानीय अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक पारिस्थितिक संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों, मान्यताओं, मूल्यों, संस्कृति में परिवर्तन के साथ नदी के तल की सुरक्षा पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पडता है, ऐसा आंकलन है।

भूमि अर्जन के कारण कुल दो (02) कुटुम्बों के विस्थापित होने की सम्भावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिये गया है।

चम्बल रिवर फ्रंट के अंतर्गत ग्राम लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की नगर निगम क्षेत्र में स्थित 9226 वर्गफीट व्यवसायिक भूमि के प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए विशेषाधिकारी (भूमि), नगर विकास न्यास, कोटा प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः जिला कोटा के लाडपुरा में उक्त परियोजना के लिए 9226 वर्गफुट व्यवसायिक मंडल के एक भूखण्ड मानक माप के भूखंड जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है–

क्रसं.	सर्वेक्षण संख्या	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र	व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं, उ.द.पू.प.
1	01	स्वामी हिस्सा 1/2	व्यवसायिक	जिला कोटा तहसील लाडपुरा ग्राम लाडपुरा 9226 वर्गफीट	श्यामसुन्दर आत्मज पन्जूराम निवासी बी–12, न्यू कॉलोनी गुमानपुरा कोटा	उत्तर– अन्य भूमि दक्षिण–नाला(खुली भूमि) पूर्व– सड़क खाई रोड़ पश्चिम– नाला
	02	स्वामी हिस्सा 1/2			परसराम आत्मज हरिशचन्द्र निवासी बी–32, न्यू कॉलोनी गुमानपुरा कोटा	

CamScanner

आजादी का अमृत महोत्सव

भीम

वृक्ष		संरचनाएं	
किस्म	संख्या	प्रकार	कुर्सी क्षेत्र
Nil	Nil	व्यवसायिक काम्पलेक्स	9226 वर्गफुट

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन जिला कलक्टर के कार्यालय और नगर विकास न्यास, कोटा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान निरीक्षित किया जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट ..... अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद **(विशेषाधिकारी (भूमि), नगर विकास न्यास, कोटा)** को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या बेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

CamScanner